

Attention 6 Page  
Y.C Sharma

F-22/4/2013-14/ई.एफ.सी./लघु/31

विषय:- वर्ष 2013-14 के जल संसाधन विभाग की वित्तीय व्यय एवं तकनीकी सलाहकार समिति की संयुक्त चतुर्थ बैठक दिनांक 10-09-2013 का कार्यवाही विवरण ।

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग की वित्तीय व्यय एवं तकनीकी सलाहकार समिति की संयुक्त चतुर्थ बैठक दिनांक 10-09-2013 को अपराह्न 04:45 बजे कक्ष क्रमांक-212 में सम्पन्न हुई । उक्त बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :-

स.क्र.	नाम	पद	विभाग
1.	श्री राधेश्याम जुलानिया	प्रमुख सचिव	जल संसाधन विभाग
2.	श्री एम.जी. चौबे	प्रमुख अभियन्ता	जल संसाधन विभाग
3.	श्री अजय चौबे	अवर सचिव	वित्त विभाग
4.	श्री सतीश कुमार काम्बोज	निदेशक	केन्द्रीय जल आयोग
5.	श्री बी0बी0 भारद्वाज	वित्तीय सलाहकार	आदिम जाति कल्याण
6.	श्री एल.एल. राजपूत	उप सचिव	राज्य योजना आयोग
7.	श्री अश्वनी कुमार उपमन्यु	अवर सचिव	जल संसाधन विभाग
8.	श्री एस.बी. खरे	कार्यपालन यंत्री (रू.)	जल संसाधन विभाग

2. प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत 02 नवीन सिंचाई परियोजनाओं की निवेश निकासी सहित प्रशासकीय स्वीकृति एवं 03 निर्माणाधीन लघु सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्तावों पर समिति ने प्रत्येक परियोजना के डूब क्षेत्र, प्रस्तावित सिंचाई लाभ, लागत, जल की उपलब्धता तथा वन भूमि व्यपवर्तन आदि अवयवों पर प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।

स्वीकृत प्रकरण :-

3. समिति ने निम्न शर्तों के साथ नीचे तालिका में वर्णित 02 नवीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुशंसा की :-

3.1 नोन ए.आई.बी.पी. परियोजना :-

(रुपये लाख में)

S. No.	Name of Project	Block	District	Proposed Rabi Irrigation (Ha.)	Cost					Difference of Cost which is not included in G-Schedule			Total
					Forest	Private	As Per G-Schedule	Establishment	DPR	Compaction	Sluice	Others	
1	Kaneri Tank (Without Canal)	Ratlam/Normal	Ratlam	1980	828.85	331.67	2515.81	262.60	25.07	2.30	2.43	0.00	3968.73

20.9.13

### 3.2 आदिवासी परियोजना. (41/4702) :-

S. No.	Name of Project	Block	District	Proposed Rabi Irrigation (Ha.)	Cost						Difference of Cost which is not included in G-Schedule	Total	
					Forest	Private	As Per G-Schedule	Establishment	DPR	Compaction			Sluice
2	Pakar Bagharra tank	Dindori/ ST	Dindori	619	0.00	77.80	860.24	96.90	9.01	45.53	0.33	0.00	1089.85

### 3.3 शर्त :-

- 3.3.1 संबंधित कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करें कि परियोजना में मिट्टी कार्य में काम्पेक्शन का कार्य विभाग की विद्युत/यांत्रिकी (केन्द्रीय यंत्रिकी इकाई) द्वारा किया जाए। इसे निविदा में नहीं जोड़ा जाए। निविदा में केवल मिट्टी एवं वाटरिंग का प्रावधान रखा जावे।
- 3.3.2 स्लूस गेट के आयटम निविदा के 'जी' शेड्यूल में नहीं जोड़ा जाए और केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई से कराये जावें।
- 3.3.3 स्थापना, कंटेन्जेंसी, सर्वे/अनुसंधान, डी.पी.आर. एवं क्वालिटी कन्ट्रोल टेस्टिंग आदि कार्यों के लिए पृथक से राज्य स्तर से धनराशि प्रदाय की जाने के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन यंत्री इन मदों पर परियोजना के तहत कोई व्यय नहीं करें।
- 3.3.4 चूँकि साधारण जंगल सफाई मशीनों के माध्यम से सीधे बेंचिंग कर करा लिया जाता है। अतः इस कार्य के लिए प्राक्कलन तथा जी शेड्यूल में प्रावधान नहीं रखा जाए।
- 3.3.5 जिन परियोजनाओं के संबंध में पुरानी प्रशासकीय स्वीकृतियाँ हों उन्हें इस आदेश की तिथि से निरस्त मानी जाए।
- 3.3.6 वनभूमि प्रभावित परियोजनाओं में वनभूमि के व्यपवर्तन एवं उपयोग के संबंध में सक्षम स्तर से प्रथम चरण (Stage One) की स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व कोई व्यय नहीं किया जावे।

### 4. पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति:-

समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत राशि से विभिन्न कारणों के मद्देनजर शासन के निर्धारित मापदण्डों 10% से अधिक लागत बढ़ने से निम्न अपूर्ण लघु सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों पर पुनरीक्षित प्रशासकीय / निवेश निकासी स्वीकृति इस शर्त पर दिये जाने का निर्णय लिया गया कि परियोजनाओं पर कराये गये अतिरिक्त कार्य की सभी आवश्यक स्वीकृतियों सक्षम स्तर से प्राप्त करने पश्चात् ही अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया जावे:-

### 4.1 ए.आई.बी.पी. (45/4702) परियोजनाएँ :-

S. No.	Name of Project	District	Designed Irrigation (In Ha.)	RAA Amount (Rs. in Lakhs)
1	Ojhar nalla Tank	Dhar	950	1765.23
2	Alampur Tank	Damoh	440	1018.54

## 4.2 नॉन ए.आई.बी.पी. (45/4702) परियोजना :-

S. No.	Name of Project	District	Designed Irrigation (In Ha.)	RAA Amount (Rs. in Lakhs)
3	Shahbad Tilendi Tank	Raisen	496	1231.54

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई ।

(अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

*[Signature]*  
30.9.13

(अश्वनी कुमार उपमन्त्री)

अवर सचिव,

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठा. क्रं. F-22/4/2013-14/ई.एफ.सी./लघु/31(1895) दिनांक 30/9/2013

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, वित्त विभाग ।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
5. कार्यपालन यंत्री, डाटा सेन्टर, जल संसाधन विभाग

*[Signature]*  
30.9.13

अवर सचिव,

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

*[Signature]*

30.9.13